

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी- श्री ओ०पी० बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 26/2015

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाध सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम्

अप्रार्थीगण

1. गोवाभाई पुत्र लक्ष्मण जाति ठाकुर
निवासी खैरानू मेहसाना गुजरात हाल
निवासी उमिया डेयरी गुड़ामालानी जिला
बाड़मेर (में. उमिया दूध डेयरी का मुनीम)
2. हसमुख भाई पुत्र लक्ष्मण भाई जाति
पटेल निवासी 26 प्रथम पोल डाबी त.
उन्झा जिला मेहसाना गुजरात हाल
निवासी त. गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
(में. उमिया दूध डेयरी का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) खाध सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:- 1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेश सोलंकी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 6.7.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 6.7.2015 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी के
दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन मैसर्स उमिया दूध डेयरी गुड़ामालानी अपरान्ह 12.30 बजे
पहुँचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, नाम पता पूछने पर अपना नाम गोवा भाई
पुत्र लक्ष्मण जाति ठाकुर निवासी खैरानू मेहसाना गुजरात हाल निवासी उमिया दूध डेयरी
गुड़ामालानी (फर्म का मुनीम) बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त दुकान का
निरीक्षण करने पर दुकान में रखे एक बड़े कंटेनर में दूध करीबन 200 लीटर आम जनता को
विक्रय करने हेतु पाया गया। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर
दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियों में बराबर मात्रा में भरा गया,
जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 40/- रुपये किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40-40
बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर
बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर
गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी
550 चिपकाकर चिपड़ी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका
कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने




न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को कौंस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहों के रूबरू की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-550 जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने के लिए फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियों पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि पेय पदार्थ दूध नमूना पी-550 की जाँच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/एलएस/542/एक्ट/2015 /537 दिनांक 17.7.2015 से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक (Sub Standard/Does not conform) स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में पेय पदार्थ दूध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.550 जाँच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति आदि प्रस्तुत की गयी।


- परिवाद प्राप्त होने पर परिवाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाने का निवेदन किया गया।





न्याय निणयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 6.7.2015 को गश्त करते हुए मैसर्स उमिया दूध डेयरी, गुड़ामालानी का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे एक बड़े कंटेनर में करीबन 200 लीटर दूध आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था। दूध का नमूना पी.550 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
4. परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/एलएस/542/एक्ट/2015/537 दिनांक 17.7.2015 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे दूध का नमूना पी. 550 अवमानक (Sub Standard/Does not conform) स्तर का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते हैं।
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी गोवाभाई वगैरहा द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का दूध रखने एवं बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थीगण प्रत्येक पर 5000/- 5000/-(अक्षरे रूपये पांच-पांच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 6.7.2016 से एक माह के अंदर- अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।




 (ओपीओ बिश्नोई)
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अति.जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज तारीख 6.7.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अति.जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर